Website : www.sameti.org
E.Mail: sametijharkhand@rediffmail.com

समेति, झारखण्ड

(कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान)
समेति भवन, द्वितीय तल, कृषि भवन परिसर, काँके रोड, राँची, झारखंड।

पत्रांक : ....431........ राँची, दिनांक : 31/5/2024

प्रेषक,

विकास कुमार,
निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

परियोजना निदेशक (आत्मा),
सभी जिले।

विषय : **एग्रीकल्चर एक्सटेंशन/आत्मा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत जिला प्रसार कार्य योजना 2024-25 के संबंध में।**

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-15 दिनांक-30.05.2024 एवं दिनांक-21.03.2024 को आयोजिक SLSC की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-867 दिनांक-01.04.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्ध-सरकारी पत्रांक- 13-22/2023-PC दिनांक 14.12.2023 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित कृषिउन्नति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश एवं Allocation रू0 3000.00 लाख संसूचित किया गया था। दिनांक-21.03.2024 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में Consolidated Annual Action Plan की स्वीकृति State Level Steering Committee (SLSC) की बैठक के द्वारा केन्द्र प्रायोजित कृषिउन्नति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु रू0 6250.00 लाख (बासठ करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की लागत पर वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत किया गया।

पुनः प्रासंगिक योजनान्तर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.-9-6/2023-AE दिनांक 03.04.2024 के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई Allocation रू0 3000.00 लाख को संशोधित करते हुए झारखण्ड राज्य हेतु Rs. 2300.00 लाख का Allocation संसूचित किया गया। संशोधित Allocation के अनुसार वर्तमान वर्ष 2024-25 में केन्द्र प्रायोजित कृषिउन्नति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्य योजना 125% पर करते हुए केन्द्रांश रू0 2907.92798 लाख एवं राज्यांश रू0 2158.13865 लाख इस प्रकार कुल **रू0 5066.06663 लाख (पचास करोड़ छियासठ लाख छः हजार छः सौ तिरसठ रूपये)** मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति से संबंधित विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-15 दिनांक-30.05.2024 निर्गत किया गया है।

विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में जिला प्रसार कार्ययोजना इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। तद्नुरूप विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं SLSC की समस्त कंडिकाओं का अनुपालन करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

अनु0 यथोक्त।

निदेशक,
समेति, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : ......431......   दिनांक : ..31/5/2024..

प्रतिलिपि : उपायुक्त–सह–अध्यक्ष (आत्मा), सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

निदेशक

समेति, झारखण्ड राँची।

ज्ञापांक : ......431......   दिनांक : ..31/5/2024..

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी (ए0ई0), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।

निदेशक

समेति, झारखण्ड राँची।